समक्ष न्यायालय श्रीमान् मंडल आयोग महोदय -(म. प्र.) (राजस्व)

रा. प्र. क्र. —/15

1. बाहुबली जैन पिता विजय कुमार जैन
2. जुगराज सिंह पिता बाबू सिंह
3. उमा बाई पति गंगाराम
4. कुसुम पिता भैयालाल कोल
5. बाबू सिंह पिता विपत सिंह
6. शिवरतन पिता स्व.टिड़ई सोनी
7. कमलेश पिता प्रेमचंद
8. जितेन्द्र कुमार, सतेन्द्र कुमार पिता विजय कुमार जैन
   सभी निवासी – स्लिमनाबाद, जिला कटनी
9. किशनलाल पिता श्यामलाल
   निवासी – सिउड़ी, जिला कटनी
10. सरस्वती देवी पति सुरेन्द्र सिंह कोल
    निवासी – पान उमरिया, जिला कटनी
11. दिव्या इसरानी पिता गोपी गिलानी
    निवासी – कटनी, जिला कटनी

— आवेदक / रिवीजनकर्तागण

विरूद्ध

1. राजाराम पिता भिम्मा कोल
2. बलराम पिता भिम्मा कोल

दोनों वयस्क निवासी – खितौला, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर – अनावेदक / प्रत्यर्थी

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

रिवीजनकर्तागण सादर विनय प्रस्तुत करते हैं :-

रिवीजनकर्ता गण न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर कटनी, जिला-कटनी द्वारा प्रकरण क्र. 67/अपील/अ-6/2011-12 पक्षकार राजाराम, बलराम विरूद्ध सुरेश प्रसाद शर्मा बगैरह अन्य-15 में पारित आदेश दिनांक 30/08/13 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि रिवीजन प्रस्तुत करता है।

तथ्य

1. यह कि वादग्रस्त भूमि ग्राम स्लीमनाबाद प.ह.नं. 61/38 रा.नि.मं. स्लीमनाबाद तह.बहोरीबंद में स्थित है जिसके ख.नं. पुराने 149,229,233,240,391,433,434,435,441,605,606 रकवा क्रमशः 2.43,0.265,0.809,1.060,0.995,0.902,0.607,0.749,0.368,0.121,4,452 कुल रकवा 12.782 हे. भूमि बंदोवस्त के पूर्व सुरेश शर्मा के नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी दर्ज थी। उक्त भूमियों को बंदोवस्त के पूर्व ही रिवीजनकर्तागणों को सुरेश शर्मा द्वारा विक्रय किया जा चुका था जिसके नये खसरा नं. 385/4,385/5,385/6,385/7,385/8,410/1,410/2,433/1,459/1,458/1,231/1,385/1,385/2,640/5,351,915,640/2,640/3,640/4 रकवा लगभग 16 एकड़ राजस्व अभिलेख में रिवीजनकर्तागणों के नाम दर्ज किया गया। एवं विद्वान विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा के समक्ष प्रत्यार्थीगण के बावा प्रहलाद कोल के द्वारा धारा 170 क,ख म.प्र.भू-राजस्व संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत क्रिया गया था जिसका निराकरण दिनांक 29/04/1993 के आधार पर उपरोक्त वर्णित ख.नंबरों से ख.नं. 258/2, 259/2, 316,321/2,385/3,410/2,335/2,433,640,640/8,640/9,640/7 कुल रकवा 6.22 हे. प्रहलाद कोल के नाम दर्ज किया गया। उक्त भुमियों प्रहलाद कोल के फौत होने के बाद उसके पुत्र भिम्मा कोल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई उक्त संपूर्ण भूमि 6.22 हे. भिम्मा कोल द्वारा हल्के सिंह गौड़ पिता कुसुम सिंह गौड़ को विक्रय कर दी गईं उक्त भूमियों पर वर्तमान में हल्के सिंह गौड़ का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

क्रमशः 2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3000-I/15 जिला कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.16.	आवेदक को तीन बार पुकार लगाई गई पक्ष की ओर से कोई उप० न है। आवेदक को सूचना उप० हुई। सूचना पत्र में [illegible] की तामील [illegible] [illegible] आवेदक की [illegible] अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। [illegible] रिकार्ड [illegible] अभिलेख पटवारी [illegible] हो। अभिलेख दाखिल [illegible] जावे। [signature] सदस्य	[signature] NA-1

[signature]

[कृ. प. उ.